Performance of Vayudoot

*46 SHRI J. P. JAVALI.
SHRI M VINCENT:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that last year Vayudoot suffered a loss of Rs 30 crores;

(b) whether Vayudoot owes huge amount towards fuel cost, catering etc.;

(c) if so, details of the same and action taken in the matter to improve its finances; and

(d) what steps are being taken to improve the services of Vaydoot?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI HARMOHAN DHAWAN): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha. (See below).

Statement

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) As on 31st March, 1990 the liabilities of Vaydoot Limited are estimated to be about Rs. 70 crores which include Rs. 151 55 lakhs towards fuel costs and Rs. 20 lakhs towards catering charges. With a view to improving its finances and services, Vayudoot has undertaken a number of steps like:

(i) Rationalization of its opeational network.

(ii) Reduction in non-operational expenses through rational deployment of manpower and aircraft, temporary withdrawal of five star hotel facilities to officers on tour and inflight catering services, curtailment of free passages to employees, ban on recuitments, etc.

(iii) Increase in non-operational revenue by hiring-out wherever possible, existing manpower and infrastructure to other users.

(iv) Marketing of charter flights, etc.

परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश को वित्तीय अनुदान

*47. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य व परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को गत वर्ष कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी ;

(ख) किन शीर्षों के अंतर्गत सहायता दी गई थी ; और

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त सहायता दी गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (प्रो. शकीलुर रहमान) : (क) पिछले वर्ष (1989-90) के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए मध्यप्रदेश सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता 6508.57 लाख रुपये थी । (स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 1885.13 लाख रुपये और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 4625.44 लाख रुपये) ।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मध्य प्रदेश को रिलीज की गई योजनावार केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं ।

विवरण-I

1989-90 के दौरान विभिन्न शीर्षों/उपशीर्षों के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए मध्यप्रदेश को रिलीज की गई योजनावार केन्द्रीय सहायता

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	रिलीज की गई सहायता	उपशीर्ष
		(लाख रुपये में)	
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (यू.+आर.)	1549.82	डी. 2(4)(2)
2.	राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम .	4.65	डी. 2(4)(3)
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम . .	90.08	डी. 2(4)(5)
4.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम . .	123.55	डी. 2(4)(4)
5.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम .	72.07	डी. 2(4)(1)
6.	राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम :	8.50	डी. 1(2)(3)
7.	भारतीय चिकित्सा पद्धति स्नातकोत्तर विभाग का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता . .	7.00	डी. 2(1)(1)
8.	जड़ी बूटी खेत, औषध परीक्षण प्रयोगशाला इत्यादि सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति की फार्मेसियों के विकास के लिए सहायता . . .	0.16	डी. 2(3)(1)
9.	बहुद्देश्यीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण . .	28.70	डी. 2(4)(6)
10.	राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना . .	0.60	डी. 2(4)(8)
	कुल योग .	1885.13	

विवरण–II

वर्ष 1989–90 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

नकद सहायता (लाख रुपये में)

क्रम संख्या	योजना का ब्यौरा	धनराशि	उपशीर्ष
1.	परिवार कल्याण निर्देशन और प्रशासन		
2.	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो	237.65	सी–2(1)
3.	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो		
4.	शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो		
5.	सहायक नर्स धात्रियों/लेडी हैल्थ विजिटर्स का प्रशिक्षण	69.59	सी–2(2)(1)
6.	दाइयों का प्रशिक्षण	74.01	सी–2(2)(2)
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	22 86	सी–2(2)(3)
8.	बहुद्देश्यीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	11.02	सी–2(2)(4)
9.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को शामिल करना	44.66	सी–2(2)(5)
10.	चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों को विषय परिचायक प्रशिक्षण	2.00	सी–2(2)(6)
11.	लेप्रोस्कोपिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना	0.42	सी–2(2)(7)
12.	आई० यू० डी० रिलेपन में ए एन एम /एल० एच० वी० का प्रशिक्षण	0.99	सी–2(2)(8)
13.	परिवार कल्याण अनुसंधान और मूल्यांकन	3.06	सी–2(7)
14.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1106.22	सी–2(4)(1)
15.	उपकेन्द्र	724.16	सी–2(4)(2)
16.	ग्राम स्वास्थ्य गाइड	137.53	सी–2(4)(3)
17.	उप प्रभागीय अस्पतालों में प्रसवोत्तर	156.05	सी–2(4)(4)
18.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	149.01	सी–2(5)(1)
19.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों को नया रूप देना	137.62	सी–2(5)(2)
20.	जिला स्तर पर प्रसवोत्तर सेवा का विस्तार	140.91	सी–2(5)(3)
21.	रोग निरोधक योजना	30.58	सी–2(6)(1)
22.	रोग प्रतिरक्षण योजना	87.47	सी–2(6)(2)

क्रम संख्या	योजना का ब्यौरा	धनराशि	उपशीर्ष
23.	चिकित्सीय रूप से गर्भ समापन . .	0.99	सी–2(6)(3)
24.	ओरल रिहाईड्रेशन थिरेपी . . .	19.34	सी–2(6)(4)
25.	पी०ओ०एल०	54.57	सी–2(7)(1)
26.	परिवार कल्याण मुआवजा . . .	439.12	सी–2(8)
27.	परिवार कल्याण जन शिक्षा. . .	64.63	सी–2(9)
28.	परिवार कल्याण यनित क्षेत्र कार्यक्रम .	200.01	सी–2(10)
29.	नसबंदी पलंग	1.00	सी–2–11)(1)
30.	नस जोड़ने के लिए प्रावधान . .	3.00	सी–2(12)(4)
	योग .	3818.67	

ख. सामग्री के रूप मे सहायता

1.	रोग निरोधक योजना . . .	59.90	सी–2(6)(1)
2.	रोग प्रतिरक्षण योजना . . .	379.24	सी–2(6)(2)
3.	कन्डोम	287.70	सी–2(11)(2)
4.	कापर-टी.	40.00	
5.	मुख सेव्य गोलिया . .	37.93	
	योग . .	804.77	

Assessment of liabilities against overcharging by Drug companies

*48 DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry have assessed the liabilities against overcharging based on Supreme Court judgement in respect of drug companies who challenged Government fixed price;

(b) if so, what is the amount assessed for recovery in each case and the period for which the assessment has been made so far; and

(c) what is the period for which assessment in each case is yet to be made and what are the reasons for the delay in finalising the assessment?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the details is attached. (*See* below).